

“प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) सबके लिए आवास”

उद्देश्य

- ❖ भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा संसद के संयुक्त सत्र में अपने अभिभाषण में यह घोषणा की गई थी कि राष्ट्र की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने तक प्रत्येक परिवार के पास शुद्ध पेय जल, शौचालय, विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं के साथ पक्का मकान होगा।
- ❖ भारत के मा0 प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्र की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास उपलब्ध कराने की परियोजना प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के विभिन्न घटकों में से “भागीदारी में किफायती आवास” (ए0एच0पी0) घटक के अन्तर्गत, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विभिन्न जनपदों में संचालित परिषद की आवासीय योजनाओं में (जी+3 प्रकार) चार मंजिले भवनों को, प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है।
- ❖ उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद का परिचय : उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद का गठन परिषद अधिनियम 1965 के अन्तर्गत माह अप्रैल 1966 में विभिन्न आवास एवं विकास योजनाओं का नियोजित ढंग से कार्यान्वयन करते हुए प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर की आवास नीति एवं कार्यक्रम के अनुसार आवास संबंधी कार्यों में समन्वय लाने के उद्देश्य से किया गया था।



भवनों/फ्लैटों की योजना के मुख्य आकर्षण

1. सुपर एरिया — 34.07 वर्ग मीटर।
 2. कारपेट एरिया — 22.77 वर्ग मीटर।
 3. दो कमरा, एक किचन स्पेस, एक बाथरूम, एक शौचालय एवं बालकनी।
 4. ₹0 5,000 /—(रुपये पांच हजार मात्र) देकर फ्लैट / भवन का पंजीयन कराया जा सकता है।
 5. प्रति भवन की कुल लागत — ₹0 6.00 लाख
 6. केन्द्र सरकार का अंशदान — ₹0 1.50 लाख
 7. राज्य सरकार का अंशदान — ₹0 1.00 लाख
 - सरकार का कुल अंशदान योग — ₹0 2.50 लाख
 8. चयनित पात्र लाभार्थी द्वारा वहन की जाने वाली धनराशि ₹0 3.50 लाख प्रति भवन / फ्लैट।
 9. ₹0 5,000 /— पंजीकरण धनराशि के उपरान्त शेष धनराशि सब्याज 05 वर्षों में अर्थात् 60 मासिक किश्तों में भुगतान की सुविधा।
- ❖ पंजीकृत लाभार्थी द्वारा आवंटन पत्र निर्गत किये जाने की तिथि से 02 माह में सम्पूर्ण अवशेष धनराशि जमा किये जाने पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) - सबके लिए आवास (जी+3) प्रकार के फ्लैट/भवन का विशेष पंजीकरण-2021

पंजीकरण प्रारम्भ दिनांक 01.12.2021 से दिनांक 31.12.2021 तक

पंजीकरण हेतु फ्लैट/भवनों का विवरण

क्र. सं.	योजना / शहर का नाम	फ्लैटों / भवनों की संख्या (जी+3)	सुपर एरिया (वर्ग मीटर)	कार्पेट एरिया (वर्ग मीटर)	प्रति फ्लैट/ भवन की कुल लागत रु. लाख में	भारत सरकार /राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जाने वाली धनराशि (रु. लाख में)	पंजीकरण धनराशि (रुपये में)	शेष धनराशि (रुपये में)	फ्लैट/ भवन में मासिक किशतों की संख्या एवं प्रति किशत की धनराशि	
									संख्या	धनराशि (रु. में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	गोण्डा (सिविल लाइन्स)	156	34.07	22.77	6.00	2.50	5000	345000	60	5917.00

पंजीकरण हेतु पात्रता :

1. आवेदक भारत का नागरिक हो।
2. आवेदक को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के भागीदारी में किफायती आवास (ए0एच0पी0) घटक के अन्तर्गत पात्रता की सभी शर्तें पूर्ण करते हों।
3. पंजीकरण आवेदन प्रपत्र जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि को उसकी आयु-18 वर्ष से कम न हो।
4. दुर्बल आय वर्ग श्रेणी के भवनो हेतु अधिकतम रु0 3,00,000.00 (रुपये तीन लाख मात्र) तक की वार्षिक आय वाले परिवार ही पात्र होंगे। योजना प्रारम्भ होने की तिथि से 6 माह के पूर्व जारी हुये आय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। आवेदनकर्ता को राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से निर्गत आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. लाभार्थी परिवार (मुखिया) में पति-पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल होंगे।
6. आवेदक के पास उसके नाम से अथवा उसके परिवार (पति/पत्नी/अविवाहित बच्चे) के किसी सदस्य के नाम से भारत के किसी भी भाग मे पक्का मकान (सभी मौसम रिहायसी इकाईयाँ) नहीं होनी चाहिए।
7. आरक्षित/विकलांग श्रेणी के लाभार्थी को जिलाधिकारी द्वारा जारी जाति/दिव्यांग प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के भागीदारी में किफायती आवास (ए0एच0पी0) घटक के अन्तर्गत केन्द्र सरकार/सूडा/डूडा में आवेदक/लाभार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की यूनिक आई0डी0 संख्या (जो आवंटित हुई है) तथा आधार नम्बर अंकित होना चाहिए।



सेवोत्तम प्रमाणित

9. पंजीकरण हेतु परिवार की महिला, मुखिया अथवा परिवार के पुरुष मुखिया और उसकी पत्नी के संयुक्त नाम से होना चाहिए और केवल उन मामलों में, जब परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य नहीं है, आवास को परिवार के पुरुष मुखिया के नाम किया जा सकता है।
10. आवेदक/लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)—सबके लिए आवास परियोजना के ए0एच0पी0 घटक में पंजीकृत हों।
11. अपूर्ण एवं अधूरे आवेदन—पत्र पात्रता हेतु वैध मान्य नहीं होंगे।
12. यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य/मिथ्या पाया जाता है, तो परिषद को उसके पंजीकरण/आवंटन एवं निबन्धन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा उसके द्वारा जमा की गयी धनराशि नियमानुसार जब्त कर ली जायेगी।

विशेष नोट :-

- आवेदन पत्र भरने से पूर्व इस पुस्तिका में दिए गये आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन अवश्य कर लें, ताकि आवेदन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि न हो। अधूरे एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।
- आवेदक यदि केन्द्र सरकार/सूडा/डूडा/नगर निगम/नगर पालिका की पात्रता सूची में नहीं पाया जाता है तो आवंटन/पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा।
- पंजीकरण/आवंटन के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार एवं उ0प्र0 सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी किसी भी प्रकार के निर्गत आदेश/दिशा-निर्देश बाध्यकारी होंगे।
- भवनों की सीलिंग कास्ट बढ़ाये जाने एवं अनुदान दिये जाने की धनराशि के संबंध में शासनादेश में संशोधन/पुनरीक्षित आदेश बाध्यकारी होंगे।
- योजना से संबंधित किसी भी बिन्दु पर विवाद की स्थिति में, आवास आयुक्त उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, का निर्णय अंतिम होगा।
- केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा इस योजना के संबंध में दिये जाने वाले सभी दिशा निर्देश मान्य होंगे।
- प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी)—सबके लिए आवास के सम्बन्ध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट www.mohua.gov.in पर Login कर सकते हैं।

पंजीकरण/चयन की नियम व शर्तें

- आवेदन आफलाइन माध्यमों से किये जायेंगे।
- ऐसे आवेदक जिन्होंने भारत सरकार/राज्य सरकार की किसी आवासीय योजना के अन्तर्गत अनुदान/छूट का लाभ प्राप्त करके आवास प्राप्त किया हो, ऐसे लाभार्थी पात्र नहीं होंगे।
- पंजीकृत लाभार्थी का सत्यापन उसके आधार नम्बर जो केन्द्र सरकार/सूडा/डूडा/नगर निगम/नगर पालिका में पंजीकृत/अपंजीकृत आवेदक के आवेदन पत्र सूडा से सत्यापन के उपरान्त ही पात्रता की श्रेणी में अनुमन्य होंगे।
- आवासों का आवंटन एस.एल.एस.एम.सी. द्वारा यथा अनुमोदित पारदर्शी प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए शासन द्वारा गठित समिति के माध्यम से किया जायेगा।
- आवंटन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् चयनित पात्र लाभार्थियों के नाम परिषद की वेबसाइट www.upavp.in पर प्रदर्शित किये जायेंगे।
- पंजीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध सम्पत्ति की संख्या से अधिक होने पर सार्वजनिक लाटरी के आधार पर आवंटन किया जायेगा। असफल आवेदकों को उनके द्वारा जमा की गयी धनराशि बिना ब्याज के परिषद द्वारा निर्धारित बैंक से एक माह में आवेदक के द्वारा अपने आवेदन में अंकित किए गये बचत बैंक खाते में (NEFT/RTGS) के माध्यम से, वापस कर दी जायेगी।
- पात्र लाभार्थियों को लाटरी की नियत तिथि, स्थान, समय की सूचना उनके पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर एस0एम0एस0 के माध्यम से तथा समाचार पत्र में भी विज्ञप्ति के माध्यम से प्रसारित करायी जायेगी।
- यदि कोई पंजीकृत आवेदक लाटरी ड्रा की तिथि से पूर्व अपनी जमा पंजीकरण धनराशि वापस लेना चाहता है, तो उसकी लिखित

सहमति के आधार पर उसका पंजीकरण आवेदन निरस्त करते हुए जमा पंजीकरण धनराशि बिना कटौती, बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।

- यदि कोई आवेदक लाटरी में चयनित होने के बाद, परन्तु प्रदेश-पत्र में निर्धारित धनराशि जमा करने के अन्तिम तिथि से पूर्व पंजीकरण निरस्त करने का आवेदन करता है, तो पंजीकरण धनराशि में से 20 प्रतिशत की कटौती करते हुए अवशेष धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी। प्रदेश पत्र जारी होने के 3 माह पश्चात पंजीकरण/आवंटन निरस्त कराने पर पंजीकरण धनराशि की 50 प्रतिशत कटौती करके शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।
- भारत सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय निकाय द्वारा आवंटित सम्पत्ति पर प्रभारित कर यथा, जी0एस0टी0, गृहकर, जलकर आदि का भुगतान आवंटी को स्वयं वहन करना होगा।
- आवेदक के पक्ष में फ्लैट/भवन आवंटन के शेष धनराशि रू0 3,45,000 /—(तीन लाख पैतालीस हजार मात्र) पर 9.0 प्रतिशत ब्याज सहित 05 वर्ष (60 मासिक किश्तों) का निर्धारण किया जायेगा।
- (A) सम्पत्ति आवंटन हेतु प्रदेश पत्र/माँग पत्र निर्गत होने की तिथि से 05 वर्ष की 60 मासिक किश्तों में दिनांक 01.04.2020 को SBI की प्रभावी ब्याज दर MCLR (7.95%) + 1% = 8.95% say 9.00% की दर के अनुसार देय होगी।
- (B) किसी भी भुगतान में विलम्ब की दशा में अवशेष धनराशि में दिनांक 01.04.2020 को SBI की प्रभावी ब्याज दर MCLR (7.95%) + 1% = 8.95% say 9.00% सामान्य ब्याज की दर के साथ 02 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज की दर से देय होगा।
- उ0प्र0 भू-सम्पदा(विनियम एवं विकास) अधिनियम की शर्तों के अनुसार अनुबन्ध निष्पादन किया जायेगा। चयन में सफल आवेदकों को आवंटित सम्पत्ति का आवंटन/माँग पत्र निर्गत से पूर्व भू-सम्पदा (विनियम एवं विकास) अधिनियम-2016 के अधीन विहित प्रारूप पर विक्रय करार निष्पादित कराना होगा।
- फ्लैट/भवन के कब्जा हेतु नियमानुसार किश्त किराया किरायेदारी अनुबन्ध (रूपया 500 के स्टाम्प पेपर पर) निष्पादित कराते हुए, कब्जा सम्बन्धी समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने पर फ्लैट/भवन का कब्जा दिया जायेगा।
- आवंटी द्वारा नियमानुसार फ्लैट/भवन का मूल्य व अन्य समस्त देयक परिषद खाते में भुगतान के उपरान्त, (कर एवं निबन्धन विभाग द्वारा समय समय पर जारी शासनादेश के अनुसार) रू0 500 /—स्टाम्प पेपर व रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी के पश्चात् विक्रय विलेख/सेल डीड निष्पादन की कार्यवाही की जायेगी।
- एक मुश्त भुगतान करने वाले आवेदको को आवंटन में वरीयता दी जायेगी एवं उनकी सार्वजनिक लाटरी पहले की जायेगी।

आरक्षण:

उ.प्र. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या 1022/आठ-1-18-93 विविध/2018 दिनांक 11.07.2018 के क्रम में, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत लाभार्थियों को आवंटित किये जाने वाले भवनों में "वरीयता नीति" व्यवस्था निम्नानुसार की गई है -

(अ) वर्टिकल वरीयता

क0 सं0	श्रेणी	वर्टिकल वरीयता
1	अनुसूचित जाति	21%
2	अनुसूचित जनजाति	2%
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	27%



क० सं०	श्रेणी	हारिजेंटल वरीयता	कोड
1	दिव्यांगजन	05% (वरीयता-भूतल के भवन/पलैट)	D
2	विधवा/एकल महिला	08%	W
3	उभयलिंगी (Transgender)	0.5%	T
4	अल्प संख्यक	अन्य पिछड़ा वर्ग में पूर्व से अनुमन्य है।	M
5	वरिष्ठ नागरिक	10% (वरीयता-भूतल के भवन/पलैट)	S

- आरक्षण के लिये सक्षम अधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- संबंधित आरक्षण श्रेणी का सक्षम अधिकारी से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

नोट : उ.प्र. शासन द्वारा अन्य किसी श्रेणी/वर्ग को आरक्षण/वरीयता निर्धारित किया जाता है, तदनुसार आरक्षण/वरीयता अनुमन्य होगा।

आवंटन :

- आवेदकों की सूची जिलाधिकारी/अध्यक्ष सूडा को प्रेषित की जायेगी एवं वह इस सूची का भौतिक सत्यापन करते हुये वेलिडेटेड सूची, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद को उपलब्ध करायेंगे। वेलिडेटेड सूची के आवेदकों को ही लॉटरी में सम्मिलित किया जायेगा। असत्यापित आवेदकों के आवेदन पत्र निरस्त समझे जायेंगे।
- आवंटी विद्युत कनेक्शन, संबंधित विभाग से अपने खर्चे पर स्वयं लेगा।
- लॉटरी का परिणाम सार्वजनिक रूप से परिषद वेबसाइट www.upavp.in पर उपलब्ध होगा।
- आवंटी द्वारा भवन का प्रयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिये ही किया जायेगा।
- इस योजना की किसी भी शर्त में संशोधन का अधिकार आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद को होगा तथा ऐसे संशोधन आवेदकों/आवंटियों को मान्य होंगे।
- भविष्य में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा इस योजना के संबंध में लिये गये निर्णय, आवेदक द्वारा मान्य होंगे।

आवंटी/आवेदक की मृत्यु की दशा में :

- यदि आवेदक/आवंटी की मृत्यु हो जाती है तो उसके पंजीकरण/उसको आवंटित भवन उसके उत्तराधिकारियों को आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने पर नियमानुसार अद्यतन भुगतान करने पर यथास्थिति हस्तान्तरित कर दिया जायेगा।

भवनों का कब्जा :

- भवनों का निर्माण आगामी दो वर्ष में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है, किन्तु भवनों का कब्जा पूर्व में निर्गत शासनादेश के अधीन विभिन्न विभागों द्वारा विकास कार्यों के पूर्ण किये जाने के अनुसार अनुमन्य होगा।
- परिषद द्वारा सूचित अवधि में पट्टा विलेख न कराने एवं भवन का कब्जा न लेने पर आवंटी को नियमानुसार विलम्ब/रख-रखाव शुल्क प्रति माह देय होगा।
- योजना की सेवाओं का स्थानीय निकाय को हस्तान्तरण होने तक उनका रख-रखाव विकासकर्ता द्वारा किया जायेगा। योजनानर्तगत निर्मित भवनों में कामन सुविधाओं के रख-रखाव हेतु उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट अधिनियम 2010 के सुसंगत

प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। विकास कर्ता द्वारा भवन के नियमित अनुरक्षण हेतु भवन के निर्धारित मूल्य की 01 प्रतिशत की धनराशि का अनुरक्षण फण्ड तथा वृहद एवं आकस्मिक अनुरक्षण कार्य हेतु भवन के निर्धारित मूल्य के 01 प्रतिशत धनराशि कारपस फण्ड बनाया जायेगा। उक्त दोनों फण्ड में संपूर्ण धनराशि का योगदान लाभार्थियों द्वारा किया जायेगा। उक्त धनराशि भवन के सामान्य मूल्य के अतिरिक्त होगी। उक्त भवनों के पूर्ण होने के उपरान्त प्रथम कब्जे की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक परिषद द्वारा अनुरक्षित किया जायेगा। 5 वर्ष से पूर्व आर.डब्ल्यू.ए. का गठन हो जाने की स्थिति में साझा क्षेत्रों एवं सामूहिक सुविधाओं का हस्तान्तरण होने के पश्चात अनुरक्षण फण्ड एवं कारपस फण्ड की अवशेष धनराशि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को हस्तगत कर दी जायेगी।

- प्रधानमंत्री आवास योजना के अधीन भवन के सम्पूर्ण मूल्य व अन्य व्ययों के भुगतान के उपरान्त शासनादेश संख्या 3188/आठ-1-13-80विविध/2010 दिनांक 05.12.2013 के प्रस्तर-2 के अनुसार ई0डब्ल्यू0एस0 व एल0आई0जी0 भवनों का विक्रय/हस्तान्तरण आवंटन की तिथि से 05 वर्षों तक प्रतिबन्धित है। परन्तु किसी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा उक्त भवनों के लिये दिये गये ऋण की वसूली हेतु बन्धक रखे गये भवन की नीलामी/विक्रय हेतु उक्त प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा, किन्तु नीलामी/विक्रय से प्राप्त धनराशि से सर्वप्रथम शासकीय सब्सिडी की वसूली की जायेगी, तत्पश्चात बैंक द्वारा अपने ऋण की वसूली की जायेगी। उपरोक्त दोनों धनराशि की वसूली के पश्चात कोई धनराशि बचती है तो वह धनराशि परिषद को वापस हो जायेगी। निर्माण के उपरान्त लाभार्थी के पक्ष में औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुये एवं पंजीकरण अनुबन्ध निष्पादित कराते हुये कब्जा दिया जायेगा। 5 वर्ष की अवधि के बाद ही विक्रय विलेख निष्पादित किया जायेगा। 5 वर्ष की अवधि में आवंटी द्वारा उक्त इकाई का उपयोग स्वयं हेतु नहीं किया जाता है, तो आवंटन निरस्त करते हुये उक्त इकाई परिषद में निहित हो जायेगी तथा आवंटी को कोई धनराशि देय नहीं होगी।

भवनों के निर्माण हेतु भूमि एवं वाह्य विकास कार्य की व्यवस्था-

- आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 1131/ आठ-1-17-106 विविध/2018 दिनांक 11.07.2018 द्वारा प्रधानमन्त्री आवास योजना(शहरी) घटक अफोर्डेबल हाउसिंग इन-पार्टनरशिप के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने के दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।
- शासन के आदेश संख्या-1878/आठ-1-18-80 विविध/2010/दिनांक 17 अक्टूबर, 2018 के अनुसार प्रधानमन्त्री आवास योजना(शहरी) के घटक अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के भवनों के वाह्य विकास कार्य निम्नानुसार विभिन्न विभागों/कार्यदायी संस्था के द्वारा कराये जाने है:-

1- एप्रोच रोड एवं ड्रेन/सीवर

- (अ) नगर के मुख्य मार्ग से योजना परिसर को जोड़ने वाली एप्रोच रोड उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप बिटुमिन्स रोड के रूप में लोक निर्माण विभाग के विभागीय बजट से निर्मित की जायेगी।
- (ब) एप्रोच रोड के दोनों ओर वृक्षारोपण का कार्य वन विभाग द्वारा अपने विभागीय बजट से किया जायेगा। जनपद स्तर पर अन्य स्रोतों से भी वृक्षारोपण हेतु धनराशि की व्यवस्था जिलाधिकारी द्वारा की जा सकती है।
- (स) योजना परिसर से नगर के मुख्य नाले तक जोड़ने वाली ट्रंक सीवर का निर्माण नगर निगम स्थानीय नगर निकाय द्वारा किया जायेगा। इस कार्य हेतु बजट की व्यवस्था नगर विकास विभाग द्वारा की जायेगी।
- (द) योजना परिसर के निकटवर्ती नगर के क्षेत्र में सीवर प्रणाली होने की स्थिति में परिसर से नगर के मुख्य सीवर को जोड़ने वाली ट्रंक सीवर का निर्माण उ0प्र0 जल निगम/नगर निगम/स्थानीय निकाय नगर पालिका/नगर परिषद) द्वारा किया जायेगा। इस कार्य हेतु बजट की व्यवस्था नगर विकास विभाग द्वारा की जायेगी।

2. बाह्य जलापूर्ति

- (अ) योजना के प्रत्येक पाकेट में ओवर-हेड-टैंक(आवश्यकतानुसार) नलकूप राइजिंग मेन, पम्पिंग-प्लान्ट तथा पम्प हाउस का निर्माण उ0प्र0 जल निगम द्वारा वाटर सप्लाय मैनुअल के अनुसार किया जायेगा, जिसके लिये वास्तविक कार्य की लागत के आधार पर बजट की व्यवस्था नगर विकास विभाग द्वारा की जायेगी तथा पेयजल का स्रोत समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।



- (ब) पम्प हाउस में विद्युत संयोजन की कार्यवाही उ०प्र० जल निगम द्वारा अपने उपरोक्त विभागीय बजट से करायी जायेगी तथा पेय जलापूर्ति हेडवर्क्स रख-रखाव हेतु नगर निकाय को हस्तगत की जायेगी।

3. बाह्य विद्युतीकरण

- (अ) योजना के प्रत्येक पाकेट में बाह्य विद्युतीकरण उ०प्र० पावर कारपोरेशन द्वारा किया जायेगा, जिसके लिये वास्तविक लागत के अनुसार शासन स्तर से विद्युत वितरण प्रणाली हेतु आवंटित अपने विभागीय बजट के माध्यम से करायी जायेगी।
- (ब) बाह्य विद्युतीकरण के अन्तर्गत सब-स्टेशन, ट्रान्सफार्मर लगाना, भूमिगत एल०टी० लाईन तथा भवनों में विद्युत संयोजन का कार्य (फीडर पिलर के माध्यम से) सम्मिलित होगा।
- (स) भवनों में विद्युत संयोजन के अन्तर्गत एल.टी. लाईन से भवनों के ब्लाक्स में स्टेअर केस पर मीटर पैनल जोड़ने का कार्य सम्मिलित रहेगा।
- (द) मेंन स्विच लगाने व मेंन स्विच से प्रत्येक भवन तक विद्युतीकरण का कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा भवन की निर्धारित लागत में सम्मिलित रहेगा।

उपरोक्त कार्य शासन द्वारा परिषद को धनराशि उपलब्ध कराये जाने पर परिषद द्वारा भी सम्पादित कराये जा सकेंगे।

भवनों/प्लैटों हेतु निर्धारित बैंकों का विवरण
निर्धारित बैंक शाखाओं का विवरण जहाँ से पंजीकरण पुस्तिका प्राप्त करने एवं
पंजीकरण आवेदन पत्र (पंजीकरण धनराशि सहित) जमा करने की सुविधा उपलब्ध है

क्र०	योजना/शहर का नाम	बैंक एवं बैंक अधिकारी का नाम		बैंक का पता एवं मोबाइल नं०			
		NAME	BANK	ADDRESS	MOBILE NO.	ACCOUNT NO.	IFSC CODE
1	सिविल लाईन्स योजना, गोण्डा	SAN TOSH KUMAR SHUKLA	HDFC	HOUSE NO-144 MOHAN TOWER, STATION ROAD, GONDA	9838666685	50100291409166	HDFC0001901

परिषद के अधिकारियों का विवरण

क्रमांक	योजना/शहर का नाम	अधिकारी का नाम	मोबाइल नं.
●	गोण्डा	इं० रूप चन्द, अधीक्षण अभियन्ता	8795810034
●		इं०, अजीत कुमार चौधरी, अधिशासी अभियन्ता	8795811695
●		श्री मुकेश पाल (सम्पत्ति प्रबन्धक)	8795810970

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के ए.एच.पी घटक के अन्तर्गत
सी.एस.एम.सी. से स्वीकृत परियोजनाओं के अन्तर्गत पंजीकरण खोले
जाने हेतु प्रस्तावित भवनों का विवरण

क्र.सं.	जनपद/स्थल का नाम	पंजीकरण हेतु प्रस्तावित भवनों की संख्या	रेरा पंजीयन संख्या
1.	गोण्डा (सिविल लाइन्स)	156	UPRERAPRJ814610



भवनों का विवरण

गोरखपुर जोन

क्र.सं.	जोन का नाम	जनपद/स्थल का नाम	सी.एस.एम.सी. स्वीकृत भवनों के सापेक्ष पंजीकरण हेतु अवशेष भवन	रु. 6.00 लाख के विक्रय मूल्य पर पंजीकरण हेतु प्रस्तावित भवनों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	गोरखपुर जोन	गोण्डा (सिविल लाइन्स)	156	156

योजना/शहर का कोड संख्या

क्र.सं.	योजना शहर का नाम	पंजीकरण हेतु प्रस्तावित भवनों की संख्या	कोड संख्या
1.	गोण्डा (सिविल लाइन्स)	156	02

प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश

- दुर्बल आय वर्ग की सुविधा के दृष्टिगत आवेदन पत्र आफलाइन स्वीकार्य होंगे।
- आवेदन पत्र पंजीकरण पुस्तिका जिसमें सम्पूर्ण विवरण उल्लिखित है, को निर्धारित बैंक एवं सशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। एक व्यक्ति एक ही पंजीकरण पुस्तिका क़य कर सकता है।
- आवेदन पत्र के सभी कॉलम भरना अनिवार्य है जिसमें अपने खाते का विवरण (खाता संख्या, बैंक का नाम एवं शाखा तथा आई.एफ.एस.सी. संख्या) अंकित करना अनिवार्य है। सार्वजनिक लाटरी में असफल आवेदकों की जमा पंजीकरण की धनराशि की वापसी में सुविधा होगी।
- सम्पूर्ण प्रविष्टि के उपरान्त पंजीकरण के निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन पत्र संबंधित बैंक में जमा करना होगा।
- अपूर्ण सूचना के साथ भरे आवेदन पत्र जमाकर्ता बैंक द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- आवेदन पत्र जमाकर्ता बैंक से प्राप्त जमा रसीद को सुरक्षित रखेंगे तथा जमा रसीद पर अंकित संख्या महत्वपूर्ण है।
- आवेदन पत्र में वांछित सूचना यथा आरक्षण एवं अन्य से संबंधित प्रमाणित दस्तावेज आवेदन पत्र में संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
- सार्वजनिक लाटरी से एक सप्ताह पूर्व परिषद की वेबसाइट www.upavp.in पर आवेदनकर्ताओं की सूची प्रदर्शित होगी।
- डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक "उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद" के पक्ष में देय होना चाहिए।
- आवेदन पत्र को नीली स्याही से ही भरा जायेगा।
- पंजीकरण पुस्तिका विक्रय हेतु निर्धारित बैंको द्वारा पंजीकरण पुस्तिका विक्रय करते समय ही पंजीकरण पुस्तिका में संलग्न आवेदन पत्र पर बैंक की मुहर लगाकर हस्ताक्षर किये जायेगा।

रु0 10/-के स्टैम्प पेपर पर (नोटरी द्वारा सत्यापित) समक्ष उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

शपथ-पत्र

मैं श्री / श्रीमती / कुमारी.....उम्र.....वर्ष.....
पुत्र / पुत्री / पत्नी.....निवासी..... शपथ
पूर्वक बयान करता / करती हूँ:

1. मैं एतद्वारा शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि मैंने इस आवेदन पत्र के साथ दिये गये पंजीकरण योजना के नियमों, शर्तों, दशाओं विशेष सूचनाओं की परिभाषा, पंजीकरण के इस चरण की प्रक्रिया, जिसका उल्लेख इस पुस्तिका में किया गया है, को स्पष्ट समझ लिया तथा मैं इसके पालन का वचन देता / देती हूँ।
2. मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने अथवा मेरे पति / पत्नी तथा आश्रित बच्चे ने पहले परिषद की किसी योजना के अन्तर्गत मेरे आवेदन पत्र में उल्लिखित नगर के लिये पंजीकरण हेतु आवेदन नहीं किया है।
3. जिस नगर अथवा क्षेत्र के लिए मैं आवेदन कर रहा / रही हूँ उसमें मेरा अथवा मेरे पति / पत्नी या आश्रित बच्चों के नाम कोई आवासीय भूखण्ड / भवन नहीं है। तथा मेरे या मेरे परिवार के नाम भारत वर्ष अथवा उ0प्र0 राज्य के अन्य किसी नगर / शहर में कोई भी भवन / भूखण्ड नहीं है।
4. यदि भूमि अर्जन के प्रतिकर के संबंध में माननीय न्यायालय के आदेश द्वारा अथवा अन्य किसी न्यायिक प्रक्रिया में अपरिहार्य कारण से (जी+3) प्रकार के भवन के मूल्य में वृद्धि होगी तो उसका निर्धारित नियमों के अनुरूप भुगतान करूँगा / करूँगी।
5. यह घोषणा करता / करती हूँ कि मेरी मृत्यु हो जाने पर श्री / श्रीमती / सुश्री..... जो रिश्ते में मेरे / मेरी..... हैं एवं खून के संबंधी हैं, को इस पंजीकरण के नामान्तरण हेतु प्रथम वरीयता पर नामित करती / करता हूँ। प्रथम वरीयता के नामान्तरी की मृत्यु होने पर इसी क्रम में श्री / श्रीमती / सुश्री..... जो मेरे / मेरी हैं एवं खून के संबंधी हैं, को इस पंजीकरण हेतु द्वितीय वरीयता पर नामित करता / करती हूँ।
6. मैं पंजीकरण पुस्तिका का भलीभांति अध्ययन करने के उपरान्त निर्दिष्ट समस्त शर्तों / प्रतिबन्धों का अनुपालन करूँगा / करूँगी। यदि मेरे द्वारा किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को मेरा आवंटन निरस्त करने एवं पंजीकरण धनराशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
7. मेरे द्वारा आवेदन पत्र में स्वयं का खाता संख्या / बैंक / शाखा अंकित किया गया है वह संचालित रहेगा।



8. मैं शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ कि गत वित्तीय वर्ष में समस्त श्रोतों से मेरी कुल वार्षिक आय (रु० 3,00,000 से अधिक नहीं थी) जिसमें मेरे परिवार के समस्त सदस्यों एवं आश्रित संबंधियों की आय सम्मिलित है।
9. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के भागीदारी में किफायती आवास घटक के अन्तर्गत केन्द्र सरकार/सूडा/डूडा में आवेदित व्यक्ति की पंजीकरण संख्या..... आधार नम्बर.....पंजीकृत है।
10. मैं एतद्द्वारा शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि धारा 1 से 9 में कहा गया कथन सर्वथा सत्य है। यदि किसी समय यह ज्ञात हो कि मेरे द्वारा कोई असत्य विवरण जान-बूझकर परिषद को दिया गया है, तो परिषद को मेरे विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

घोषणा—

- मैं एतद्द्वारा शपथ बयान करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त क्रमांक 1 से क्रमांक 10 तक की दी गयी सूचना मेरे पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास से सर्वथा सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है। यदि भविष्य में सरकार/उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा कोई भी दिशा निर्देश दिये जाते हैं तो वह मेरे द्वारा मान्य होंगे।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर